पेसिफिक विवि की 55 छात्राओं को स्कॉलरशिप

उदयपुर। पेसिफिक विवि ने विद्यार्थियों को बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोडने व अजीम प्रेमजी फाउंडेशन छात्रवृत्ति योजना की जानकारी देने के लिए सेमीनार का आयोजन किया।

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी देते हुए विवि की 55 छात्राओं को पंजीयन किया है। यहां छात्राओं को फाउण्डेशन में छात्रवृत्ति योजना पंजीयन प्रक्रिया सिखाने के लिए लाइव डेमो दिखाया गया। इस योजना के तहत 10 वी व 12 वीं की पढाई सरकारी विद्यालय पूरी करने के बाद कॉलेज में प्रवेश लेने पर प्रतिवर्ष 30 हजार रूपये की स्कॉलरशिप प्रदान कि जायेगी।

वाइस चांसलर प्रो. हेमन्त कोठारी ने बताया कि दक्षिण राजस्थान में कई प्रतिभावान छात्राएं हैं जो आर्थिक असक्षमता के कारण स्नातक की पढाई छोड देती हैं जबकि ऐसी छात्राओं के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। पेसिफिक विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के समय से जरूरतमंद विद्यार्थियों खासतौर पर बालिका शिक्षा पर जोर देता रहा है, यहां कई छात्राओं को नि:शुल्क या छात्रवृत्ति के माध्मय से स्नातक की शिक्षा प्रदान की जा चुकी है।जिसमें छात्राओं को पंजीयन से लेकर छात्रवृत्ति प्राप्त करने तक के बारे प्रायोगिक रूप से जानकारी दी ।

भारतीय ज्ञान परपंरा का उपयोग कर बढ़ाएं बच्चों की बौद्धिक क्षमता : राज्यपाल बागड़े

■ राज्यपाल ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि में ली बैठक

उदयपुर,। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने कहा कि भारत ज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध है। वैज्ञानिकों, प्रोफेसर्स को चाहिए कि वे भारतीय ज्ञान परंपरा का शोध-अनुसंधानों में उपयोग करते हुए बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढाने पर ध्यान दें। राज्यपाल बागड़े उदयपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विवि के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, संबद्ध महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत आदिकाल से ज्ञान का कोष रहा है। उन्होंने भारद्धाज ऋषि सहित अन्य का उदाहरण देते हुए उनके लिखे ग्रंथों का उल्लेख किया। उन्होंने ऐसी पुस्तकों को विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखने तथा अनुसंधान करने का सुझाव दिया। बागड़े ने कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं हैं। अमरिका सहित पूरा विश्व भारतीय टेलेन्ट पर निर्भर है। यही वजह है कि 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद अमरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। बागड़े ने विवि की ओर से गोद लिए गए गांवों में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। गोद लिए गांवों में स्वच्छता आदि गतिविधियां चलाना ही पर्याप्त नहीं हैं। वहां का समूचा वातावरण बदलना चाहिए। इन गांवों में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों-शिक्षकों, कार्मिकों आदि को जोड़ते हुए प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कहानी-प्रेरक किस्सों आदि के माध्यम से शिक्षित-दीक्षित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, ताकि उनकी नींव मजबूत हो और वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भी पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अपने लोकल परिवेश के साथ जोड़ते हुए पढाने की पक्षधर है। बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के अकादमिक ढांचे, नामांकन की स्थिति, छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित विद्यार्थियों, परीक्षा व्यवस्था, वित्तीय स्थिति, स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति, रॉस्टर प्रणाली, विश्वविद्यालय की उपलब्ध एवं बिल्टअप भूमि आदि के बारे में जानकारी लेते हुए दिशा-निर्देश दिए। प्रारंभ में कुलगुरू डॉ अजीतकुमार कर्नाटक, सचिव अशोक कुमार, वित्त नियंत्रक दर्शना गुप्ता आदि ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति बागड़े का स्वागत किया।

राज्यपाल बागड़े ने विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के इंजीनियरिंग संकाय में नवीकरणीय उर्जा इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ नारायणलाल पंवार तथा आणविक जीवविज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष डॉ विनोद सहारण का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है। राज्यपाल बागड़े सुबह 10 बजे विवि परिसर पहुंचे। यहां सर्वप्रथम उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा एवं तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के पश्चात् राज्यपाल बागड़े पुन: सर्किट हाउस लौटे। यहां कुछ समय प्रवास के बाद दोपहर 2 बजे सड़क मार्ग से माउंट आबू के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। श्री बागड़े माउंट आबू में आयोजित विविध कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद 27 सितम्बर को अपराह्न बाद उदयपुर आएंगे। वहीं शाम को डबोक एयरपोर्ट से विमान द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

सार-समाचार

घरो में रातभर बंद रही लाइट

उदयपुर, । उदयपुर शहर के साइफन चौराहे स्थित एक अवैध बिल्डिंग को देर रात को तोडने के दौरान एक बडा हादसा ही गया। बिल्डिंग का एक बडा हिस्सा टूट कर बिजली के खंबे पर गिरा और खंभा टूट गया जिससे क्षेत्र के 100 से अधिक घरों में विद्युत आपूर्ति बंद हो गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइफन चौराहे पर एक बिल्डिंग को निजी बिल्डर द्वारा अवैध रूप से तोडने का काम किया जा रहा है। बिल्डिंग को तोडने के दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर विद्युत पोल पर गिर गया जिससे क्षेत्र के लगभग 100 घरों में लाइट बंद हो गयी। यह बिल्डिंग वासुदेव मिष्ठान भंडार वालों की बताई जा रही है जिसे बेदला रोड निवासी कैलाश शर्मा द्वारा तुडवाया जा रहा था। मोके पर पहुंचे कॉलोनीवासियों ने हैवे मशीन चला रहे ड्राइवर से लाइसेंस मांगा तो वह मशीन छोड कर भाग गया। जो व्यक्ति है बिल्डिंग तुडवा रहा है उससे भी कॉलोनीवासियों ने बिल्डिंग तुडवाने की परमिशन मांगी गई तो वह व्यक्ति भी अपना फोन स्विच ऑफ करके चला गया। गनीमत रही कि किसी राहगीर पर मलबा नहीं गिरा नहीं तो किसी की जान जा सकती थी।

80 वार्डो की परिसीमन अधिसूचना जारी

उदयपुर, । उदयपुर नगर निगम के 80 वार्ड के प्रस्ताव को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसका राज्य सरकार ने गजट में प्रकाशन भी करवा दिया है। ऐसे में अब आगामी नगर निगम चुनाव 80 वार्ड के हिसाब से ही होंगे यह भी तय हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शहर के आसपास के गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करते हुए 70 वार्ड से बढाकर 80 वार्ड बनाए गए और जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। उस दौरान हालांकि कुछ गांवों के लोगों ने विरोध भी दर्ज करवाया लेकिन प्रशासन स्तर पर ही आपत्तियों का निस्तारण कर फाइनल प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। उसको मंजूरी देते हुए राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान राजपत्र विशेषांक (गजट) में प्रकाशन करवा दिया है। नगर निगम के 80 वार्ड के प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब आगामी निगम चुनाव से पहले इन 80 वार्डों के चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण तय करने जिला मुख्यालय पर लॉटरी निकाली जाएगी। उसमें यह तय होगा कि कौन से वार्ड से किस जाती का व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड सकेगा। प्रदेश भर के नगर निगम के मेयर पद आरक्षण तय करने की लॉटरी जयपुर में निकाली जाएगी। परिसीमन में निगम क्षेत्र का भूगोल बदलने के साथ ही राजनीतिक परिदृश्य भी बदल जाएगा। मौजूदा ज्यादातर पार्षदों को चुनाव लडने के लिए नए सिरे से सियासी जमीन तैयार करनी होगी। उदयपुर नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने बताया.डीएलबी जयपुर से अधिसूचना मिल गई है और इसमें सभी वार्डों की सीमा तय कर दी गई है और आबादी का भी उसमें उल्लेख है।

केंद्रित ग्रीन पीपल समिति की बैठक

उदयपुर,। पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूकता को बढावा देने के उद्देश्य से ग्रीन पीपल समिति की बैठक शुक्रवार को अरण्य कुटीर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष राहुल भटनागर ने की, जबकि नीदरलैंड से आए पर्यावरण शोधकर्ता पीटर मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अतिथि पीटर ने बताया कि मेवाड अंचल समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक है। वे इन दिनों उदयपुर और आसपास की पहाडयों तथा उनके पारिस्थितिक महत्व पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शोध को सफल बनाने के लिए उन्हें समिति सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। बैठक में 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले वन्य जीव सप्ताह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपाध्यक्ष एवं जयपुर चैप्टर प्रभारी, रिटायर्ड आईएएस विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि इस वर्ष का जयपुर बर्ड फेस्टिवल 31 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि इस बार विद्यार्थियों की गतिविधियों में और अधिक विविधता लाने का विशेष प्रयास किया जाएगा, ताकि युवा पीढी में पक्षी संरक्षण के प्रति गहरी रुचि पैदा हो। बैठक में डॉ. ललित जोशी ने लंपी रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं, जबकि समिति के एस एन दवे ने संस्था के लिए विभिन्न फंडिंग एजेंसियों से संपर्क साधने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।इस अवसर पर पक्षी विशेषज्ञ विनय दवे, प्रताप सिंह चुंडावत सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे।

नई सुपरफास्ट ट्रेन का स्वागत

उदयपुर, ।पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार प्रात: 8.50 बजे चंडीगढ रेलवे स्टेशन पर उदयपुर से चंडीगढ के लिए शुरू की गई नई सुपरफास्ट ट्रेन का स्वागत किया। यह महत्वपूर्ण सुविधा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के व्यक्तिगत प्रयासों और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैश्नव के साथ उनकी लगातार पहल का परिणाम है। उनके प्रयासों से ही यह ट्रेन संभव हो पाई है जो उदयपुर की जनता के लिए एक बडी सौगात और सुविधा है। इस ट्रेन से न केवल उदयपुर और चंडीगढ के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा बल्कि दोनों शहरों के पर्यटन और आवागमन को भी नई गति मिलेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को बांसवाडा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस द्वि. साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था।

जनकल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम

उदयपुर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर की ओर से ग्राम पंचायत चीरवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छोत्सव 2025, जीएसटी बचत उत्सव एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर रैली, मिनी प्रदर्शनी, संगोष्ठी, पेंटिंग प्रतियोगिता, मौखिक प्रशनोत्तरी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत चीरवा के सरपंच गगन गमेती ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता का विकास होता है । हमें ये समझना चाहिये कि ये केवल सरकार का कार्य नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। क्षेत्रीय प्रचार सहायक रवि कुमार योगी ने विभाग की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान, नवीन जीएसटी सुधार, केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए जीएसटी बचत उत्सव के बारे में उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी। उन्होंने कहा की 22 सितम्बर से जी.एस.टी. की नई दरें लागू होने के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम कम हुए है। केंद्र सरकार ने 12 व 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म कर अब केवल 5 व 18 प्रतिशत के दो टैक्स स्लैब को ही रखा है जिससे छोटे व्यापारियों और आम आदमी को बडी राहत मिली है।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय चीरवा की प्रधानाचार्या मोनिका जोशी ने कहा कि जागरूकता के साथ-साथ स्वच्छता को अपने व्यवहार में लाना आवश्यक है हम सब के स्वस्थ जीवन के लिये स्वच्छता की शुरुआत घरों, स्कूलों, कालेजों, समुदायों, कार्यालयों, संस्थानों से होनी चाहिए जिससे कि देश में व्यापक स्तर पर स्वच्छ भारत क्रांति हो। राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक ओमप्रकाश खटीक ने उपस्थित दर्शकों से कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता को अपने नैतिक कर्तव्य के रूप में अपनाते हुए कार्य करना होगा तभी यह अभियान सफल हो पाएगा । सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर संजय शर्मा ने व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व प्रकाश डाला ।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मा वाउचर योजना, उजाला क्लिनिक,आदि के बारे में भी उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी । इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक रचना मोदी द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पोषण माह के अंतर्गत पौष्टिक आहार का प्रदर्शन भी किया गया । कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह द्वारा नवीन सुधार एवं स्वच्छता ही सेवा पर आयोजित मिनी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया ।

कन्यादान योजना का लाभ मिला

उदयपुर, 26 सितम्बर। ग्रामीण सेवा शिविर सुदूरवर्ती जनजाति अंचल में न केवल राहत के पर्याय बल्कि आशा की नई किरण भी बन कर उभर रहे हैं। उदयपुर जिले के सुदूरवर्ती जनजाति अंचल फलासिया तहसील की ग्राम पंचायत अमीवारा में आयोजित शिविर में एक आदिवासी बिटिया के विवाह पर उसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 41000 रूपए की सहायता राशि का लाभ मिला। इससे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमीवारा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान पवन भील ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रार्थना पत्र सौंपा। शिविर स्थल पर तहसीलदार, सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीक्षक सहित अन्य ने सभी जरूरी कार्यवाही पूर्ण कराते हुए प्रार्थी को योजना के तहत 41000 रूपए की सहायता राशि का स्वीकृति पत्र सौंपा। इससे पवन भील का परिवार गद्गद् हो उठा तथा मुख्यमंत्री एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

प्रोफेशनल आर्टिस्ट की पेंटिंग प्रतियोगिता आज

उदयपुर, । संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार)के निर्देशानुसार पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,उदयपुर द्वारा ष्विकसित भारत के रंग कला के संगष् कार्यऋम के तहत प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए शनिवार को सुबह 9 बजे पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। शुऋवार को विद्या भवन सीनियर सैकण्डरी स्कूल फतहपुरा में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।

केन्द्र निदेशक फुरकान खान ने बताया कि केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार विकसित भारत की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता सेवा पर्व के रूप में पूरे देशभर में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को शिल्पग्राम में प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए सुबह 9 बजे पेंटिंग प्रतियोगिता की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 3० वर्ष से अधिक के कोई भी कलाकार भाग ले सकते है। शुक्रवार विद्या भवन सीनियर सैकण्डरी स्कूल फतहपुरा में विकसित भारत की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।

जिसमें कई विद्यार्थियों ने विकसित भारत की कल्पना को सुंदर चित्रों में उकेरा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. आर.एल.सुमन, सुपरिंटेंडेटए महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर थे। साथ में केन्द्र के सहायक निदेशक वित्त एवं लेखा दुर्गेश चांदवानी,अधिशाषी हेमंत मेहता एवं स्कूल के प्राचार्य पुष्पेन्द्र सिंह राणावत उपस्थित थे।

इस दिवाली उदयपुर का पैसा उदयपुर में: डार्क स्टोर्स से खतरे में स्थानीय रोजगार

उदयपुर । मेवाड की विरासत काफी समृद्ध रही है विशेष कर पधारो म्हारे देश पंक्ति को हम लोग दिल से निभाते हैं उसे जीते हैं । हम सभी का स्वागत करते हैं लेकिन हमारी सहृदयता का हमें नुकसान भी उठाना पड सकता है। राजस्थान में मेवाड की सांस्कृतिक राजधानी उदयपुर व मेवाडआज एक नई चुनौती का सामना कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं जिसके भविष्य में दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। यहां के हजारों लोग देश-दुनिया में बडे पदों पर और उद्योगपति के रूप में नाम कमा रहे हैं लेकिन यहां के स्थानीय लोग कई ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकता है लेकिन इस ओर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमने मेवाड के स्थानीय मुद्दों को उठाकर इसका सकारात्मक समाधान ढूंढने के लिए मेवाड बचाओ मंच की स्थापना की है। हमारा लक्ष्य है कि लोगों को अपने साथ जोडकर पॉजिटिव माहौल में समस्याओं का समाधान किया जाए। मंच का किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से मतभेद नहीं है हमारा लक्ष्य है समस्याओं का समाधान सभी को साथ लेकर किया जाए। मंच के साथ मेवाड के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग जुड गये हैं और हमारी टीम ग्राउण्ड स्तर पर सर्वे व अन्य कार्य करके मुद्दे इकट्ठा कर रही है।

मेवाड बचाओ मंच के संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि स्वतंत्रता सैनानी, संविधान सभा के सदस्य और प्रथम सांसद बलवंत सिंह मेहता के विचारों से प्रभावित होकर यह मेवाड बचाओ मंच की नींव रखी गयी है। वर्तमान कार्यकारिणी में मयंक जानी उपाध्यक्ष, दीपेश शर्मा सचिव, डॉ. शिखा दोषी, चिराग मेघवाल और निधि गुप्ता उपसचिव पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं । आगामी समय में कार्यकारिणी का विभिन्न स्तरों पर विस्तार किया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों की टीम काम करके अधिक समस्याओं के समाधान के प्रति कदम उठा सके।

संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने कहा कि मंच की पहली मुहिम उदयपुर का पैसा उदयपुर में रखी गयी है। मुहिम के तहत स्थानीय व्यापारियों के संघर्ष और चुनौतियां जो कि ऑनलाइन खरीददारी के कारण उनके सामने आ रही है इस पर चर्चा करके, जनता को जागरूक करके समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगा। आज इंस्टेंट डिलीवरी कंपनियाँ और उनके डार्क स्टोर्स शहर के लगभग 30 प्रतिशत स्थानीय रोजगार को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। यह खतरा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। बल्कि उदयपुर की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी हिला रहा है। पहले सामान खरीदने और बेचने में किसान, थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेता डिलीवरी बॉय सभी इस श्रृंखला का हिस्सा थे। लेकिन अब वही सामान सीधे डार्क स्टोर्स से ग्राहक तक पहुँच रहा है।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महो.
स्थान सीकर
सौम्या शर्मा विरुद्ध ओमप्रकाश शर्मा
वाद / प्रार्थना पत्र धारा 12 अंतर्गत धारा 18, 19, 20, 22 घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण Act. 2005 प्रार्थना-पत्र संख्या 969 / 2022
1. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा
2. मोहनलाल शर्मा पुत्र रामगोपाल
3. रेखा शर्मा पत्नी मोहनलाल शर्मा

जाति जांगीड़ ब्राह्मण पता प्लॉट नं. 403, विवेक नगर, सेक्टर नं. 3 हीरण मगरी उदयपुर, जिला - उदयपुर उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न दी । अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 03 माह 10 सन् 2025 को 10:00AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रुप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रुप से किया जाएगा। यह आज ता. 11 माह 09 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा से
रीडर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द
सं. 521-22 **लोक-सूचना** दिनांक: 24/09/2025

श्री रामेश्वर लाल पिता श्री खेमराज सिरवी निवासी सिरवी की भागल कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	धोईन्दा	4024/790	रकबा 0.0056 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24/09/25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द
सं. 5044 **लोक-सूचना** दिनांक: 25/09/2025

श्रीमती आशा पत्नी श्री लालाराम प्रजापत निवासी कुम्हारो का मोहल्ला राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	सनवाड़	2144/1846	रकबा 0.0093 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द
सं. 505-07 **लोक-सूचना** दिनांक: 24/09/2025

श्री विनोद प्रजापत पिता श्री रतन लाल प्रजापत निवासी वार्ड नं. 30 कुम्हारों का मोहल्ला राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	सनवाड़	2143/1846	रकबा 0.0098 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24.09.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द
सं. 5047 **लोक-सूचना** दिनांक: 25/09/2025

श्री कैलाश प्रजापत पिता श्री मांगी लाल प्रजापत निवासी कुम्हारों का मोहल्ला राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	सनवाड़	2146/1846	रकबा 0.0093 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए
कार्यालय नगर पालिका आमेट जिला-राजसमन्द (राज.)
PH.No:-02908-250005 E-mail ID :-municipalityamet@gmail.com
क्रमांक:न.पा.आ./भूमि रूपा./2025/1241 **-:लोक सूचना:-** दिनांक : 26/09/2025

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित आवेदकों द्वारा कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात:-

तहसील जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं./ आराजी नं.	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
आमेट राजसमन्द	आमेट	श्री बालाजी डवलपर्स प्रो. विष्णु पारिक निवासी भीलवाड़ा व श्री राकेश शर्मा पिता शोभालाल शर्मा निवासी गुजरात।	5023, 5024, 5026,	कुल रकबा 2.1063 हैक्टर भूमि मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रयोजनार्थ।

उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों में व्यक्तियों के अधिकार/ हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह नोटिस के